जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 04.06.2021

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अल्प समय में भैस चोरी का किया सफल अनावरण, 02 पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की भैंस व अवैध हथियार बरामद।

दिनांक 03.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अवैध पशु चोरी/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए भैस चोरी का 12 घण्टे के अल्प समय में सफल अनावरण कर ग्राम करौदा हाथी बस स्टैण्ड से 02 पशु चोरो को चोरी की 01 भैंस एवं अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 02/03.06.2021 की रात्रि श्री रफीक पुत्र छोटा निवासी ग्राम खानपुर थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा उसके घेर से अज्ञात चोरों द्वारा भैंस चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अपराध का तरीका-अभियुक्तगण से पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि नासिर ने अपने पड़ौसी रफीक की भैंस चुराकर बेचने हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चुराई थी। तथा वह उक्त भैंस को अपने साथी शोएब के घर कांधला ले जा रहे थे। वहां से वे उक्त भैंस को पशु पैठ में बेच देते। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अन्य पशु चोरी के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. नासिर आलम पुत्र नफीस निवासी ग्राम खानपुर थाना बाबरी जनपद शामली।
2. शोएब पुत्र अख्तर निवासी नई बस्ती बिजलीघर के पास कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी की भैंस 01।
2. अवैध चाकू 02।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल बच्चे को निर्ममता से पीटे जाने के फोटो से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 04.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार बच्चों के विरूद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल बच्चों को निर्ममता से पीटे जाने की शिकायत संबंधी वायरल फोटो से सम्बन्धित अभियुक्त को मोहल्ला नौतना कस्बा ऊन से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.06.2021 को सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा बच्चे को निर्ममता से पीटने की थाना झिंझाना क्षेत्र की फोटो वायरल की थी। झिंझाना पुलिस द्वारा छानबीन करने पर वीडियो की घटना दिनांक 01.06.2021 की कस्बा ऊन थाना झिंझाना की होना पाया गया। घटना में मोहल्ला नौतना कस्बा ऊन निवासी सचिन उर्फ कपाला द्वारा अपने खेत में पानी देते समय रास्ते से जा रहे बच्चों द्वारा पानी के पाईप को नुकसान पहुंचाने पर निर्ममता से पीटा गया। घटना के सम्बन्ध में बच्चों के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सचिन उर्फ कपाला पुत्र प्रेम सिह निवासी मोहल्ला नौतना कस्बा ऊन थाना झिंझाना शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का कैन्टर, फर्जी नम्बर प्लेट एवं अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 03.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर कैराना तिवावी मार्ग से 01 वाहन चोर को चोरी के कैंटर, फर्जी नम्बर प्लेट/कागजात एवं अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा है, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद कैंटर अभियुक्तगण द्वारा अम्बाला हरियाणा से चोरी करना बताया है।

अपराध का तरीकाः- अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि उसने व उसके फरार साथी गुफरान द्वारा उक्त कैंटर अम्बाला हरियाणा से चोरी कर फर्जी नम्बर HR-67B/7310 बताकर, फर्जी कागज (रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स आदि) तैयार कराकर चला रहे थे। तथा उनके इस कैन्टर से कई स्थानों पर एक्सीडेंट की घटनाए भी हुई है। कैन्टर चोरी एवं एक्सीडेंट की घटनाओं की FIR से जनकारी जुटाई जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. शादाब पुत्र सोनू निवासी जमाईपुर कस्बा बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

अपराधिका इतिहास अभियुक्त शादाबः-

1. मु0अ0सं0 76/16 धारा 3/8 CS एक्ट थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर।

नाम पता फरार अभियुक्तः-

1. गुफरान पुत्र इस्लाम निवासी बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी मोहल्ला खालापार निकट अमीना मस्जिद थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी का कैन्टर नम्बर HR-37D/3013।
2. फर्जी नम्बर प्लेट नम्बर HR-67B/7310 एवं फर्जी कागजात।
3. अवैध चाकू 01।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं धोखा-धड़ी मामले में 02 वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तारः-

आज दिनांक 04.06.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कार्यवाही में भिन्न-भिन्न स्थानों से दो प्रकरणों में क्रमशः नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं वादी के विरूद्ध फर्जी शपथ-पत्र तैयार कराकर मा0 न्यायालय में दाखिल करने आदि धोखाधड़ी प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. किरणपाल पुत्र बुद्ध सिंह निवासी कस्बा कूकड़ा थाना नई मण्डी, जनपद मुजफ्फरनगर।
2. अंकित पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मंड़न थाना अस्मोली जनपद सम्भल।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त किरणपालः-

1. मु0अ0सं0 1139/17 धारा 420,467,468,471 भादंवि थाना कैराना जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकितः-

1. मु0अ0सं0 555/20 धारा 363, 366 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

कार्यालय
कोतवाली कैराना

कार्यालय
कोतवाली कैराना